ने कहा है कि हम प्रभाकरण को भारत में किसी भी कीमत पर एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसीडिंग्स के तहत नहीं भेजेंगे। यदि ऐसा है तो सरकार उसके खिलाफ क्या करने जा रही है? क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है इसलिये मैं सरकार से इस बारे में पोजिटिव जानना चाहूँगा।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, the question relates to extradition treaties with Britain and it is a comprehensive question.

MR. CHAIRMAN: You said that already there is a treaty with Sri Lanka. Now he has put the question relating to Prabhakaran. Can you say something?

SHRI EDUARDO FALEIRO: I would require a separate notice generally, but the report that President Premadasa has refused to extradite or the news like that, has been contradicted by the Government.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: That is not the answer. The President of Sri Lanka has said that he will not hand over his younger brother. Are you going to extradite the President of Sri Lanka himself? (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Question No. 3.

SHRI SYED SIBTEY RAZI: I am not satisfied with the reply. I want your protection. The Minister himself has said that we have an extradition treaty with Ceylon. Under that treaty what the Minister has done in this regard, that should be mentioned. There is no question of a separate notice. (*Interruptions*).

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: How can he take it so casually? (*Interruptions*). Why is he dilly-dallying in the matter?

MR. CHAIRMAN: The Minister has noted that the House is agitated on this question and he will try to do his best

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: He should give an assurance that he will get him. Otherwise, some inferences will be drawn. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: That is because he is in another country. Question No. 3.

Running of sick NTC mills by Workers' Cooperatives

*3. SHRI SOM PAL:†

SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have prepared or propose to prepare any model scheme for running sick textile units of NTC by workers' co-operatives;

(b) whether it is a fact that New Industrial Jute Mills of West Bengal run by workers co-operatives have made a profit of Rs. 6 crores;

(c) whether Government propose to suspend the liabilities of sick textile units on the basis of demands made by the workers who are prepared to run sick units on co-operative lines; and

(d) whether Government have considered the shaping of the model of the workers' co-operatives in sick public units and private units as one of its urgent task?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

चूंकि रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान अधिनियम 1985) के प्रावधानों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये भी बढ़ा दिया गया है, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण सहायक कंपनियों के लिये यह अनिवार्य है कि वे अपने मामले बी० आई० एफ आर० को भेजें। बी० आई० एफ० आर० के समक्ष सुनवाई के दौरान जो कामगार एकक को चलाने के उद्देश्य

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Som Pal.

से सहकारी समिति की स्थापना करना चाहते हैं वे इस आशय का अनुरोध कर सकते हैं। एककों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करते समय बी० आई० एफ० आर० उनके अनुरोध को स्वीकार कर सकता है। बी०आई० एफ०आर० के पैकेज में विभिन्न पक्षकारों की वचनबद्धता तथा प्रत्येक एकक को मिलने वाली राहतों का स्पष्ट उल्लेख होगा।

कलकता में न्यू सेंट्रल जूट मिल्स इसका एक उदाहरण है जहां के कामगार अपनी मिल के बंद होने की आशंका में कामगार सहकारी समिति का गठन करने के लिए आगे आए। कलकत्ता स्थित न्यू सेंट्रल जूट मिल्स ने वर्ष 1991–92 के दौरान लगभग 5 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया। हालांकि उसके संचित घाटे अभी भी बहुत अधिक हैं।

सरकार एन टी सी के रुग्ण वस्त्र एककों की पुनर्स्थापना के लिए बी आई एफ आर द्वारा तैयार किए गए किसी भी पैकेज को सहायता देगी बशर्ते कि ऐसे एककों का संचालन कामगार सहकारी समितियों द्वारा हो।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, मेरे मूल प्रश्न का आशय यह था कि पश्चिम बंगाल की न्यू इंडस्ट्रियल जूट मिल्स के कर्मचारियों की सहकारी समिति ने उस मिल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के बाद 5–6 करोड़ रुपये का लाभ कमाकर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है और औद्योगिक प्रबंधन की विधा को एक नवीन आयाम और नयी दिशा दी है, उसके प्रकाश में क्या सरकार कोई ऐसी माडल योजना तैयार कर रही है जिसके तहत कर्मचारियों की सहकारी समितियों को अन्य मिलों का प्रबंध भी सौंपा जाय? ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार को अभी तक मिले हैं और उनकी स्थिति क्या है और क्या बी.आई.एफ.आर. को इस प्रकार के प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय और निस्तारण करने के लिये कोई दिशा निर्देश सरकार जारी करने जा रही है या नहीं?

श्री अशोक गहलौत : चेयरमैन सर, बी.आई.एफ.आर. को हम निर्देश जारी नहीं कर सकते, वह सेमी-जूडीशियल बाडी है। जो अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है उसके अन्तर्गत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी बी.आई.एफ.आर. में जाना पड़ेगा। हमने यह कहा कि बी.आई.एफ.आर. में जाने के बाद जो भी पैकेज बनेगा और जहां वरकर्स कोआपरेटिव बनाकर आगे आयेंगे हम पूरी तरह से उनको सहयोग करेंगे यह हमने कहा है। यह मिल टु मिल बेसिस पर होगा। इस बारे में माडल बनाने की बात अभी हमारे सामने नहीं है।

श्री सोमपाल : सामने नहीं है, मैंने पूछा है कि जब इतना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है तो क्यों नहीं इस पर विचार किया जा रहा है यह मैं पूछना चाहता हूं? इसमें क्या कठिनाई है जब उन्होंने लाभ करके दिखाया है। बी.आई.एफ.आर. की जो व्यवस्था है उसी के बारे में कह रहा हूं कि क्यों नहीं इस प्रकार की योजना बनानी चाहिये?

श्री अशोक गहलौत : चेयरमैन सर जरूर इस पर विचार करेंगे। मैंने कहा कि बी.आई.एफ.आर. खुद पैकेज बनाता है मिल को देखकर कि क्या उसकी स्थिति रही है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या उसका फाइनेंशियल इन्वाल्वमेंट है स्टेट गवर्नमेंट क्या रीऐक्शन लेती है...वेस्ट बंगाल की मिल के बारे में यह हुआ कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने आगे आ कर के इक्विटी में पार्टिसिपेट किया। एक पूरा पेकेज बना। उसके बाद वह मिल आज प्रोफिट में आ सकी है। हम पूरा सहयोग करेंगे और विचार करेंगे।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस प्रयोग की सफलता किन कारणों से संभव हुई है, कौन से परिवर्तन प्रबंध में उन्होंने ऐसे किये अथवा कौन से नये तत्वों का समावेश प्रबंध की शैली में कर के यह सफलता प्राप्त की गई है, क्या इस प्रकार

का अध्ययन सरकार करेगी और उस अध्ययन के प्रकाश में क्या ऐसे दिशा निर्देश दूसरी रुग्ण मिलों के प्रबन्धकों को भी दिये जायेंगे ताकि उनकी व्यवस्था दुरुस्त हो सके ?

श्री अशोक गहलौत : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। इस पर हमने काफी डिटेल्ज़ मंगवाई हैं। उसकी हमें जानकारी है। मजदूरों ने आगे आ कर के काफी सेक्रीफाइस किया और स्टेट गवर्नमेंट ने करीब चार करोड़ रुपये के शेयर लिये तथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी आगे आ कर के उनके लोन को इक्विटी में कनवर्ट किया। इस प्रकार से सभी पक्षों ने सहयोग किया और बी.आई.एफ.आर. को यह विश्वास दिलाया कि हम सब मिल कर के वर्कर्ज़ कोआप्रेटिव बना कर के इस मिल को चलायेंगे।

SHRI SOM PAL: My question is whether you would like to coduct a study, as to what new elements have been introduced in the management through which they have accomplished this feat. That is what I want to know.

श्री अशोक गहलौत : यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो आप का सुझाव है ,उस पर हम लोग कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे ताकि अधिकांश वर्कर्स कोआप्रेटिव बना करके आगे आ सके और सिक मिलों को चला सके और प्रौफिट में आ सके ।

श्री चिमनभाई मेहता : मंत्री जी तो अपेक्षित जबाव दे रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री सभापति : अपेक्षित जबाव नहीं चाहते हैं आप ?

श्री चिमनभाई मेहता : नहीं, इसलिए कि हमें मालूम है कि बी० आई० एफ० आर० में जो मामला पड़ा है वहां कुछ काम नहीं होगा । वह तो अदालत में मुकादमा चल रहा है लेकिन इसके पहले भी समझौता होता है । अब जो न्यू इंडस्ट्रीयल जूट मिल्स का हमने दाखला उधर दिया है, बी० आई० एफ० आर० में जाने की आवश्यकता हो या नहीं हो लेकिन सब पार्टियों ने मिल कर के शुरू तो कर दिया । इस तरह से हर चीज को बी० आई० एफ० आर० में ले जाने मे कभी-कभी 10 वर्ष तक लग जाते हैं । मिल इतनी हद तक सिक हो जाए, काम बंद हो जाता है, पैसा भी नहीं मिलता है । मैं आप को यह बता दूं कि मिल का बंद होना कैसा होता है। कानून में बंद नहीं है लेकिन बंद होती है क्योंकि स्टेट गवनमेंट मिल बंद करने के लिए इजाज़त नहीं देगी और बिजली का कनेक्शन कट हो जाएगा, मिल अपने आप बंद हो जाती है । तो आफिशियली मिल बंद नहीं हुई और मामला बी० आई० एफ० आर० में जाता नहीं है **(व्यवधान)**

श्री सभापति : आप जल्दी से प्रश्न कर लीजिए ।

श्री चिमनभाई मेहता : इसलिए मैं कह रहा हूं कोआप्रेटिव का । आप देखिए, कमानी ट्यूब लिमिटेड ने दो वर्ष में चार करोड़ रुपये का मुनाफा किया है और चार करोड़ रुपये का टेक्स दो वष में दिया है । बी० आई० एफ० आर० के पास हजारों दरख्वास्तें वर्षों से पेंडिंग पड़ी है लेकिन उनके बारे में कोई फैसला नहीं होता है । कलकत्ता की सेंट्रल अंडरटेकिंग की बात जो कह रहे हैं उस जूट मिल में भी बैंकों के कर्मचारियों को अरेस्ट करने के लिए बी० आई० एफ० आर० के चेयरमेन को धमकी देनी पड़ी थी क्योंकि वह उनका आर्डर मानने के लिए तैयार नहीं थे । यह इतना आसान काम नहीं है। Therefore, you will have to work out a political will. इस तरह से काम चलने वाला नहीं है कि आप यह कह दें कि सब कर लें अपना अपना काम, कानून बना हुआ है।

श्री अशोक गहलौत : सभापति महोदय, बंगाल की जो सेंट्रल जूट मिल

हैं, यह मामला भी बी० आई० एफ० आर० को गया था । जो मिल जा सकती है, जाना पड़ेगा वह पेकेज तो बी० आई० एफ० आर० बनायेगा क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री डायरेक्ट्स टच में नहीं आती है । फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इसमें इतना पसा लगा हुआ होता है इसलिए उनको पूछना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पूछना पड़ता है । इसके बावजूद भी माननीय सदस्य ने जो अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दिया हैं, हम कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की स्कीमें बन सक और मिलें प्रोफिट में चल सकें ।

श्री चिमनभाई मेहता : यही तो मैं कह रहा हूं कि बी० आई० एफ० आर० को ज्यादा मत सौंपिए ।

श्री सभापति : वह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस तरह से अगर मिलें चल सकें तो चलाएं ।

श्री भंवर लाल पंवार : सभापति महोदय, राजस्थान में ब्यावार, भीलवाड़ा और उदयपुर में तीन टैक्सटाइल मिलें हैं । क्या उनमें लेवर कोआपरेटिव्ज बनाने के लिए आगे आ रही है ताकि उनको भी पूरी भागीदारी मिल सके और पूरा लाभ मिल सके ?

श्री अशोक गहलौत : सभापति महोदय, अभी तक हमारे पास एसा कोई प्रस्ताव वहां से नहीं आया है ।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह तो आपकी स्टेट का सवाल है **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अमीन : मैं आपके जरिए यह जानना चाहता हूं कि सट्रल जूट मिल ने जो 5 करोड़ का मुनाफा कमाया है इस बात के पेशे नजर जो बकाया रकम है उससे मजदूरों को मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट कुछ सोच रही है या नहीं ?

श्री अशोक गहलौत : हम देखेंगे .. **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालय

*4. **श्री राघवजी :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत के किन-किन राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालय या उसकी न्याय पीठ नहीं है ; और

(ख) क्या उन स्थानों पर उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) इटानगर, गांधी नगर, तिरूवंतपुरम, भोपाल और भुवनेश्वर, भारत में राज्यों की ऐसी राजधानियां हैं जहां इस समय कोई उच्च न्यायालय या उसकी न्यायपीठ नहीं है ।

(ख) भारत सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के पश्चात यह आदेश दिया जा सकता है कि गुवाहाटी न्यायालय की एक न्यायपीठ इटानगर में बैठे ।

Production/Import of Wool

*5. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the quantity of wool being imported annually for the last three years, giving the respective foreign exchange outgo;

(b) what are the objectives of the proposed Wool Development Board;

(c) what is the estimate of wool production for the year 1991-92 in Andhra Pradesh;